

राजनीतिक फंडिंग का प्रकटीकरण

प्रलिमिस के लिये:

जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951, सरवोच्च न्यायालय, चुनावी बॉण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रचार अधिनियम, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संसद का वनियमन, राजनीतिक दल, चुनाव और ब्रैटिन का जनमत संग्रह अधिनियम, 2000, लोकतंत्र, विधिका शासन, नरिवाचन आयोग

मेन्स के लिये:

लोकतंत्रकि प्रकरण में प्रादरशति को बढ़ावा देने और चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये राजनीतिक दान के प्रकटीकरण का महत्व

स्रोत: द हंडि

चर्चा में क्यों?

वर्तमान राजनीतिक प्रस्थितियों और दान के संबंध में चतिआओं के मददेनजर, चुनावी बॉण्ड को चुनौती पर सरवोच्च न्यायालय की सुनवाई का निषिकरण इस चुनौती के समाधान के भारत में लोकतंत्र और विधिके शासन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की एक महत्वपूर्ण जाँच का संकेत देता है।

राजनीतिक फंडिंग क्या है?

प्रचिय:

- राजनीतिक फंडिंग/चंदा से तात्पर्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को उनकी गतिविधियों, अभियानों और समग्र कामकाज का समर्थन करने के लिये प्रदान किये गए वित्तीय योगदान से है।
- राजनीतिक दलों के लिये लोकतंत्रकि प्रकरणों में प्रभावी ढंग से भाग लेने, चुनाव अभियान चलाने और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिये राजनीतिक फंडिंग महत्वपूर्ण है।

भारत में वैधानिक प्रावधान:

- जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951: **जन प्रतनिधित्व (RPA) अधिनियम** भारत में चुनावों के संबंध में नियमों और वनियमों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें चुनाव खर्चों की घोषणा, योगदान और खातों के रखरखाव से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- आयकर अधिनियम, 1961: **आयकर अधिनियम** राजनीतिक दलों और उनके दानदाताओं के कर उपचार को नियंत्रित करता है।
 - राजनीतिक दलों को कर नियमों का पालन करना होगा और राजनीतिक दानकरता व्यक्तिया संस्थाएँ कुछ शर्तों के तहत कर लाभ के लिये पात्र हो सकते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013: **कंपनी अधिनियम** राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट डोनेशन को नियंत्रित करता है, एक कंपनी द्वारा योगदान की जाने वाली अधिकितम राशि निरिदेशित करता है और वित्तीय विवरणों में राजनीतिक योगदान का प्रकटीकरण अनविवर्य करता है।

राजनीतिक चंदा जुटाने के तरीके:

- एकल व्यक्ति:** RPA की धारा 29B राजनीतिक दलों को एकल व्यक्तियों से दान प्राप्त करने की अनुमति देती है, जबकि दानदाताओं को 100% कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।
- राज्य/सार्वजनिक अनुदान:** यहाँ सरकार चुनाव संबंधी उद्देश्यों के लिये पार्टियों को धन मुहैया कराती है। राज्य वित्तपोषण दो प्रकार का होता है:
 - प्रत्यक्ष धन:** सरकार राजनीतिक दलों को सीधे धन प्रदान करती है। हालाँकि भारत में प्रत्यक्ष फंडिंग प्रतिविधि है।
 - अप्रत्यक्ष फंडिंग:** इसमें प्रत्यक्ष फंडिंग को छोड़कर अन्य तरीके शामिल हैं, जैसे मीडिया तक निशुल्क पहुँच, रैलियों के लिये सार्वजनिक स्थानों पर निशुल्क पहुँच, निशुल्क या रायियती परविहन सुविधाएँ। भारत में इसके वनियमन की अनुमति दी गई है।
- कॉर्पोरेट फंडिंग:** भारत में कॉर्पोरेट निकायों द्वारा दान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- चुनावी बॉण्ड योजना:** चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधिक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
 - वे दाता की गोपनीयता बनाए रखते हुए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिये पंजीकृत राजनीतिक दलों को फंडिंग देने के साधन के रूप में कार्य करते हैं।
- चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013:** इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

- इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों एवं व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है।

POLITICAL FUNDING

SOURCE OF INCOME

Total income from known and unknown sources of six national parties and 51 recognised regional parties for 11 years from 2004-05 to 2014-15

₹ cr

	Total income	Income from unknown sources	% of total income*
National parties(6)	9,278.30	6,612.42	71
Regional parties(51)	2,089.04	1,220.56	58

* Income from unknown sources

राजनीतिक फंडिंग का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता क्यों है?

- राजनीतिक फंडिंग प्रकटीकरण पर वैश्वकि मानक:
 - भारत में [जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951](#) में चुनावी बॉन्ड की अनुमति देने वाले संशोधन ने राजनीतिक दानदाताओं के लिये पूरण अनामति बनाए रखी है।
 - यह अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के बलिकुल विपरीत है, जहाँ प्रचलित आवश्यकता राजनीतिक दान का पूरण रूप से प्रकटीकरण करना है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के देश [राजनीतिक फंडिंग](#) वनियम में पारदर्शता को अनिवार्य करते हैं, प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ वर्ष 1910 से चली आ रही हैं।
 - [युरोपीय संघ](#) द्वारा वर्ष 2014 में यूरोपीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण पर नियम बनाए, जिसमें दान पर सीमाएँ, प्रकटीकरण आदेश एवं बड़े योगदान के लिये तत्काल रपोर्टिंग शामिल थी।
- राजनीतिक फंडिंग वनियमों में मौलिक आवश्यकताएँ:
 - वैश्वकि स्तर पर अधिकांश कानूनी नियम राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिये दो मूलभूत आवश्यकताओं पर सहमत हैं:
 - विशिष्ट न्यूनतम राशि से अधिकि के दानदाताओं का व्यापक प्रकटीकरण तथा फंडिंग पर सीमाएँ सुनिश्चित करना।
 - इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शता सुनिश्चित करना, भरष्टाचार को रोकना तथा राजनीतिक व्यवस्था एवं लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखना है।
- नागरिकों के विश्वास को कायम रखना:
 - राजनीतिक फंडिंग का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य है क्योंकि राजनीतिक दल प्रतिनिधिलोकतंत्र की नीव के रूप में कारब्य करते हैं।
 - पारदर्शी वित्तीय खाते पार्टियों और राजनेताओं दोनों में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने, कानून के शासन की रक्षा करने तथा चुनावी एवं राजनीतिक प्रकरणों के भीतर भरष्टाचार का मुकाबला करने में महत्वपूरण भूमिका निभाते हैं।
 - यह पारदर्शता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करता है, उन लोकतांत्रिक सदिधांतों को मजबूत करता है जो पारदर्शता और निषिपक्षता पर निरिभर हैं।
- अनुचित प्रभाव की रोकथाम:
 - प्रकटीकरण के बना धन कुछ लोगों के लिये राजनीतिक प्रकरणों को अनुचित रूप से प्रभावित करने का एक उपकरण बन सकता है। पारदर्शता कॉर्पोरेट हितों को राजनीतिक और बड़े पैमाने पर वोट खरीदने से रोकने में सहायता प्रदान करती है।
- समान अवसर बनाए रखना:
 - जब एक पार्टी के पास अतिरिक्त वित्त तक पहुँच होती है उस स्थिति में न्यायसंगतता समाप्त हो जाती है। प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को समान अवसर प्राप्त हों।

चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट:

- [वित्त अधिनियम, 2017](#) में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का प्रकटीकरण करने से छूट दी है।

- इसका अर्थ यह है कि मिलदाताओं को यह नहीं पता होगा कि किसी व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन ने किसी पार्टी को और कितनी मात्रा में फंड दिया है।
- हालाँकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपना वोट उन लोगों के लिये डालते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निरिवाचन आयोग (ECI) को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से राजनीतिक्लॉबों को प्राप्त धन पर अद्यतन डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि "जानने का अधिकार", वशिष्ठ रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभियक्ताओं की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।

राजनीतिक फंडिंग में क्या सुधार आवश्यक हैं?

- **चुनावी न्याय:**
 - चुनावी न्याय लोकतंत्र के मूल सदिधांतों को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका नभिता है, यह सुनिश्चित करता है कि निरिवाचन प्रक्रिया के सभी पहलू विधि के अनुरूप हों एवं निरिवाचन अधिकारों की रक्षा करें।
 - यह प्रणाली स्वतंत्र, निषिपक्ष और प्रामाणिक चुनावों को सुविधाजनक बनाने में सहायक है, जो एक सशक्त लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।
- **चुनावी बॉण्ड के मुद्दों को संबोधित करना:**
 - चुनावी बॉण्ड, अज्ञात दाता विवरण की अनुमति देते हुए लोकतांत्रिक पारदर्शिता तथा स्वतंत्र और निषिपक्ष चुनावों की अखंडता के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।
 - उन्हें संवेधानकि रूप से सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त इस मुद्दे का समाधान करने के कायि एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो वैधता से परे हो एवं निरिवाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लोकतांत्रिक सार को संरक्षित करने पर केंद्रित हो।
- **रपिरेटिंग तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा के लिये तंत्र:**
 - इसमें एक निरिविष्ट नाममात्र सीमा से ऊपर के दानदाताओं की पहचान तथा निरिवाचन आयोग को महत्वपूर्ण दान की तत्काल रपिरेट करना शामिल है।
 - इसमें राजनीतिक दल के खातों को प्रचारति करना, दल के खातों की स्वतंत्र ऑडिटिंग तथा फंडिंग व व्यय पर सीमा स्थापित करना भी शामिल है।
- **चुनावों का राज्य वित्तपोषण:**
 - चुनावों के लिये राज्य द्वारा वित्तपोषण, एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें सरकार राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को निरिवाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - यह फंडिंग आमतौर पर सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होती है एवं इसका उद्देश्य नजीबी दान पर निर्भरता को कम करना, राजनीतिक अभियानों में नहिति स्वार्थों के संभावना प्रभाव को कम करना है।

विधिक दृष्टिकोण: चुनावी बॉण्ड मामला

<https://www.drishtijudiciary.com/>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का निरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निरिवाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2
 (c) केवल 2 और 3
 (d) केवल 3

उत्तर: (d)

प्रश्नोत्तर:

प्रश्न. इलेक्ट्रॉनिकी वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में भारत में चुनावों की 'वाशिवास्यता सुनिश्चिति' करने के लिये भारत के नियोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/disclosure-of-political-funding>

